प्रेस विज्ञप्ति
03/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 02.07.2025 को धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और वर्द्धवान में जबरन वसूली के मामलों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जानकारी मिली कि एस के जिन्नार अली नामक एक व्यक्ति जबरन वसूली के ऐसे मामलों का मास्टरमाइंड है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और 16.07.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी ने कोलकाता के बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपी व्यक्ति खुद को ईडी के अधिकारी बताकर व्यापारियों से पैसे ऐंठने की आपराधिक साजिश में शामिल था । इस तरीके में कुछ व्यापारियों की पहचान करना और उनसे पैसे ऐंठना शामिल है। आरोपी व्यक्ति ऐसे व्यापारियों से फोन पर संपर्क करते थे। आरोपी व्यक्तियों ने व्यवसायियों को बिधाननगर के पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आधिकारिक जांच के बहाने पेश होने के लिए भी बुलाया, जो वास्तव में मौजूद नहीं है। वैधता का भ्रम पैदा करने के लिए, आरोपी व्यक्ति एक टोयोटा फॉर्च्यूनर में आते थे, जिस पर ईडी का प्रतीक चिन्ह लगा होता था। कार्यालय में छापेमारी, संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तारी की लगातार धमकियों के तहत, एक व्यवसायी को कुल 1.30 करोड़ रुपये नकद और आरोपी व्यक्ति के बैंक खाते में 20 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। आगे की जांच से पता चला कि जिन्नार अली चल रहे जांच मामलों में मदद करने का झूठा आश्वासन देकर अन्य पीड़ितों से पैसे ठगने में भी शामिल था। ऐसे ही एक मामले में उसने पीड़ित से 1.5 करोड़ रुपये ऐंठ लिए।

तलाशी के परिणामस्वरूप जिन्नार अली और उनकी पत्नी के नाम पर दो वाहन होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जब्त किए गए। उनके, उनकी पत्नी के नाम और कंपनी मेसर्स स्पार्कलिंक मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रखे गए बैंक खातों में पड़े 45.89 लाख रुपये भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

तलाशी के दौरान कई अपराध संकेती दस्तावेज, सामान और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। जब्त की गई सामग्रियों में प्रवर्तन निदेशालय और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाली पत्र शामिल थे, जिन पर जाली मुहरें और जाली हस्ताक्षर थे। साथ ही, उनके आवास से "गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार" छपी कई आई कार्ड वाली गले की पट्टियाँ बरामद की गईं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक पत्र शीर्ष) लेटरहेड(, जिस पर डॉ. एस.के. जिन्नार अली का नाम है और जिस पर अशोक संप्रतीक (भारत का राज्य संप्रतीक) बना हुआ है, भी जब्त किया गया।

जांच में यह भी पता चला कि जिन्नार अली खुद को राष्ट्रीय तस्करी निरोधी समिति (एनएटीसी) नामक संगठन का अध्यक्ष बताता है। वह अपनी वेबसाइट पर यह दावा करता है कि यह एक राष्ट्रीय संगठन है जों नीति आयोग के तहत पंजीकृत सं WB/2018/0203440 भारत सरकार के माध्यम 1962में स्थापित किया गया । वेबसाइट https://natcgov.in/ को एक आधिकारिक सरकारी डोमेन जैसा दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे जनता को यह विश्वास हो जाता है कि यह एक वैध सरकारी वेबसाइट है।

जनता को सलाह दी जाती है कि वे प्रवर्तन निदेशालय या अन्य सरकारी एजेंसियों का प्रतिरूपण करने वाले धोखेबाजों के झांसे में न आएं। ईडी द्वारा जारी किए गए किसी भी समन को आधिकारिक वेबसाइट https://enforcementdirectorate.gov.in/ पर **"अपने समन सत्यापित करें"** टैब के तहत सत्यापित किया जा सकता है।

आगे की जांच जारी है।

(उपर्युक्त सामग्री/वस्तुओं में से कुछ के स्क्रीनशॉट यहां संलग्न हैं(

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT
MINISTRY OF FINANCE
ENFORCEMENT DIRECTORATE, KOLKATA

To,
The Director General,
Income Tax Department (Investigation),
Kolkata.

On 15-11-2024 received a complaint from the Department of Income Tax, Finance Department against M/s. JUGAL KISHORE BHAGAT of Kolkata and as per prima facie investigation made in we noticed that the above named M/s. Jugal Kishore Bhagat has instituted a case against our Income Tax Department and GST Department and the said cases are still pending.

Hence, it is required to file a complaint before us to start an ECIR against said person.

Annexure: Primary investigation report.

Dated: 10-06-2024

Dr. SK. JINNAR ALI
Ministry of Home Affairs
Govt. of India
Advisory Board Member

NORTH BLOCK, NEW DELHI - 110001